कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री बहादर राम, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरखेवाला जिला श्रीगंगानगर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रातडिया, सम, जिला जैसलमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री बहादर राम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16213/2019 बहादर राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 16213/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री बहादर राम को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में एक सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के 12 वर्षीय पुत्र एवं पुत्री के कोमोप्ली सीजर (COMOPLEE SEIZURE) रोग से ग्रस्त होने एवं पत्नी के रीढ की हड्डी सम्बन्धी गंभीर बीमारी एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि 29 बीबी, पदमपुर अथवा राउमावि बगीचा, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती विमला सोनी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी के पुत्र, पुत्री एवं पत्नी की गंभीर रूग्णता, उनकी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उनका समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 29 बीबी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर किया जाता है। श्री बहादर राम को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/बहादरराम/16213/2019 दिनांक 01.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/जोधपुर संभाग, बीकानेर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. बहादर राम, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)